

an>

Title: Election of Two members from Lok Sabha to the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee.

**खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और योजना मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता

हूँ :-

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय, नियम, 1998 के नियम 11 (2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (केन्द्रीय सलाहकार समिति के रूप में निर्दिष्ट) की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of Section 3 (2) (b) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 read with Rule 11(2) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee (referred to as Central Advisory Committee), subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

*The motion was adopted.*